राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2134, 2135, 2136 व 2137/2016 जिला : भीलवाडा

उनवान मैसर्स आर.एस.डबलू, खारीग्राम, गुलाबपुरा, भीलवाडा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,विशेष वृत–द्वितीय,भीलवाडा व अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.10.16	खण्डपीठ श्री खेमराज, अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा,सदस्य अपीलार्थी के ओर से श्री एम.एल.पाटोदी, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। ये चारों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 16.09.2016, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–द्वितीय, भीलवाडा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान इनवेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम–3002 (जिसे आगे योजना–2003 कहा जायेगा) सपठित अधिनियम की धारा 26 व 55 के तहत् निर्धारण वर्ष 2010–2011, 2011–12, 2012–13 एवं 2014–15 के लिये पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.06.2016 के द्वारा स्वीकृत ब्याज अनुदान राशि को कम करते हुए क्रमशः रू. 91,23,713/–, रू 1,78,52,515/–, रू. 1,50,95,041/– व रू. 68,49,299/–की मांग सृजित की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रमशः रू. 91,23,713/–, रू 1,78,52,515/–, रू. 1,50,95,041/– व रू. 68,49,299/–की मांग सृजित में से क्रमशः रू. 86,19,585/–, रू. 1,68,45,114, रू. 1,41,38,057/– व रू. 63,69,488/–पर रोक लगाने हेतु अपीलीय अधिकारी के कसमक्ष स्थगन स्थगन प्रार्थना प्रस्तुत करने पर, उन्होंने रोक लगाने से इनकार किया है, इसलिए क्रमशः रू. 86,19,585/–, रू. 1,68,45,114, रू. 1,41,38,057/– व रू. 63,69,488/–पर रोक लगाने का निवेदन किया गया है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा योजना 2003 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2013 के लिए ब्याज (इन्ट्रेस्ट) सबसीडी स्वीकृति की गई थी,जो पूर्व स्वीकृत सबसीडी से कम है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिक स्वीकृत ब्याज अनुदान की वसूली योग्य राशि एवं उस पर बनने वाला ब्याज की गणना मांग सृजित की गई है। उक्त प्रकार से प्रकार सृजित मांग राशि को अनुचित बताते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उस पर रोग लगाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है,जिसको अपीलीय अधिकारी से अस्वीकार कर क्रमशः रू. 86,19,585/–, रू. 1,68,45,114, रू. 1,41,38,057/– व रू. 63,69,488/–रोग लगाने से इनकार किया है, जिस पर स्थगन प्रदान करने हेतु उपरोक्त चारों अपीलें समय स्थगन प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गई हैं। अपलीर्थी के विद्वान अभिभाषक ने स्थगन प्रार्थना पत्रों का समर्थन करते हुए कथन किया कि योजना 2003 के अन्तर्गत सबसीडी दिये जाने का आदेश पारित किया	

गया था किन्तु बाद में अनुचित गणना करके उसे घटाया जाकर उस पर ब्याज की आरोपित करते हुए मांग सृजित की गई है, जो अनुचित है। इसलिए उनके द्वारा स्थगन हेतु आवेदित राशियों पर स्थगन प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया । उनका यह भी कथन है कि यदि स्थगन प्रदान नही किया जाता है तो उस अपूरणीय क्षति होगी।

विभाग की ओर से श्री उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिक बताते हुए स्थगन आवेदन पत्रों को खारिज करने का निवेदन किया गया ।

उभय पक्षीय बहस सुनी गयी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में सबसीडी की गणना किये जाने का बिन्दु विवादित है। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों को खारिज करने के सम्बन्ध में किसी कारण का अंकन अपीलाधिन आदेशों में नहीं किया है । अतः प्रस्तुत की गई एवं तथ्यों को ध्यान में रख्ते हुए प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आवेदित राशियों के स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशियों यथा क्रमशः रू. 86,19,585/–, रू. 1,68,45,114, रू. 1,41,38,057/– व रू. 63,69,488/– की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत **(Adequate Security)** प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को इस आदेश की प्राप्ति दिनांक से तीन माह तक के लिए स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष